प्रेषक,

उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
संस्कृत माध्यमिक/महाविद्यालय,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांकः संस्कृत/ 75 — 80 /2024–25 दिनांकः 06 सितम्बर, 2024

विषयः प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ऑफलाइन प्रारूप एवं समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 शिक्षा सामान्य(2) विस्तार अनुभाग, शिक्षा निदेशलय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांकः सामान्य(2)विस्तार/5856–5950/2024–25 दिनांकः 06.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, इस पत्र के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–1335/पन्द्रह–9–2024 दिनांकः 30.08.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि एवं पात्रता/प्रकिया में संशोधन के सम्बन्ध में है।

शासनादेश दिनांकः 30.08.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष छात्र–छात्राओं के चयन/पात्रता हेतु शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए समय सारिणी निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	विवरण	दिनांक कब से कब तक
1	आवदेन करने की समयावधि(ऑफलाइन)	06 सितम्बर 2024 से 25 सितम्बर 2024 तक
2	प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच एवं प्रेषण	26 सितम्बर 2024 से 28 सितम्बर 2024 तक
3	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जॉच आवेदन पत्रों की जॉच	29 सितम्बर 2024 से 05 अक्टूबर 2024 तक
4	जनपद स्तरीय समिति से आवेदन पत्रों की स्वीकृति तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि लाभार्थी के खाते ट्रांसपर करने की अंतिम तिथि	12 अक्टूबर 2024 से पूर्व

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांकः 30 अगस्त 2024 एवं शिक्षा निदेशक महोदय के पत्र दिनांकः 06.09.2024 में दिये गये निर्देशों का अक्षराशः पालन करना सुनिश्चित करें।

सलंग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र)
उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृ0सं0: संस्कृत/ /2024–25 दिनांक–वही।

प्रतिलिपिः निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 शिक्षा सामान्य(2) विस्तार अनुभाग, शिक्षा निदेशलय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन–2, शाहमीना रोड, लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. कार्यालय प्रति।

उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0
शिक्षा सामान्य(2) विस्तार अनुभाग,
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाऍं, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पत्रांकः सामान्य(2)विस्तार/ 5856–5950 /2024–25 दिनांक–06.09.2024

विषयः प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ऑफलाइन प्रारूप एवं समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1335/पन्द्रह–9–2024 दिनांक 30 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि एवं पात्रता/प्रकिया में संशोधन के सम्बन्ध में है।

शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2024 के पैरा–3 के (ग) उपर्युक्तानुसार संशोधित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना हेतु प्रकिया/व्यवस्था निम्नवत् है, के बिन्दु संख्या–(1) में उक्त शासनादेश में संशोधित छात्रवृत्ति दरों के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतानं दो किश्तों में (प्रथम किश्त दशहरा के पूर्व तथा दूसरी किश्त होली के पूर्व) किये जाने की व्यवस्था है। एवं बिन्दु संख्या–(5) में छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण प्रकिया हेतु एक समय–सारिणी भी निर्धारित कर दी जाय, जिसमें छात्रों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि/सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्र स्कीनिंग/वैरिफिकेशन के उपरान्त जनपद स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तथा जनपद स्तरीय समिति से आवेदन पत्रों की स्वीकृति तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की जाय।", का प्राविधान किया गया है।

शासनादेश दिनांक–30.08.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष छात्र–छात्राओं के चयन/पात्रता हेतु शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए समय–सारिणी निम्नवत् है:–

1	आवेदन करने की समयावधि (ऑफलाइन)	06 सितम्बर 2024 से 25 सितम्बर 2024 तक
2	प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच एवं प्रेषण	26 सितम्बर, 2024 से 28 सितम्बर, 2024 तक
3	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जॉच आवेदन पत्रों की जॉच	29 सितम्बर, 2024 से 05 अक्टूबर, 2024 तक
4	जनपद स्तरीय समिति से आवेदन पत्रों की स्वीकृति तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि	12 अक्टूबर, 2024 से पूर्व

अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2024 एवं छात्र/छात्राओं को ऑफलाइन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उपरोक्त समय–सारिणी एवं

Scanned with CamScanner

ऑफलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप के अनुसार कार्यवाही की जाये। समय–सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने हेतु निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

पृं0सं0 / सामान्य(2)विस्तार / /2024–25 तददिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग / समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृत शिक्षा अनुभाग–9, लखनऊ।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
7– सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ।
8– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
9– समस्त उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश।
10– कार्यालय प्रति।

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र - छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

शैक्षिक सत्र :	मण्डल :	जनपद :

1. छात्र/छात्रा का नाम (क) (हिन्दी में)________________
   (ख) (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)________________
   (ग) धर्म __________ जाति __________ लिंग __________

छात्र/छात्रा की प्रमाणित फोटो

2. विद्यालय का नाम : ________________

3. (क) पिता/ अभिभावक का नाम : ________________
   (ख) छात्र/छात्रा से सम्बन्ध : ________________
   (ग) व्यवसाय : ________________

4. (क) माता का नाम : __________ (ख) माता का व्यवसाय : __________

5. (क) जन्मतिथि (अंकों में) : __________ (ख) जन्मतिथि (शब्दों में) __________

6. आधार कार्ड संख्या : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

7. वर्तमान कक्षा : __________ अनुभाग ______ क्रमांक : ______

8. विगत/पिछली कक्षा का विवरण :
   क. विद्यालय का नाम : ________________
   ख. कक्षा का नाम : ______ ग. प्राप्तांक / पूर्णांक : ______ घ. अंक प्रतिशत में : ______

9. बैंक खाता का विवरण :

बैंक का विवरण	खाता संख्या	IFSC	शाखा	मो0 नं0

बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की छाया प्रति सलग्न करें

उपरोक्त समस्त विवरणएवं तथ्य सही हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए समस्त उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।

छात्र/ छात्रा का हस्ताक्षर

अभिभावक का हस्ताक्षर

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती..................विद्यालय/संस्था.................. वर्तमान शैक्षिक सत्र ....में कक्षा ....में अध्ययनरत है। इनकी उपस्थिति माह .... से माह.......... तक 75 प्रतिशत से अधिक है।

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक (नाम सहित)

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला विद्यालय निरीक्षक

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य (नाम सहित)
संस्था की मुहर

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः 1335 /पन्द्रह-9-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग- 9 लखनऊ, दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषयः-उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि एवं पात्रता/प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को संस्कृत पढ़ने की अभिरूचि बनाए रखने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2001 से शासनादेश संख्या-2604(1)/15-11-2001-1499(23)/92 दिनांक 21.12.2001 द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित की गयी दरें/पात्रता/प्रक्रिया संबंधी योजना वर्तमान में लागू है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 21.12.2001 द्वारा लागू संस्कृत छात्रवृत्ति की वर्तमान योजना में छात्रवृत्ति की दरें अत्यन्त ही कम हैं। छात्रवृति हेतु पात्र छात्रों की अधिकतम संख्या भी सीमित है। छात्रों के अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय मात्र रू0 50,000/- निर्धारित है। संस्कृत छात्रों की वर्तमान छात्रवृति योजना में वर्ष 2001 से लागू दरें व अभिभावकों की न्यूनतम आय सीमा बहुत कम हैं तथा योजना की शर्ते भी अनुकूल नहीं हैं। प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वाले अधिकांश छात्र/छात्राएं अत्यन्त ही निर्धन पारिवारिक पृष्ठभूमि के होते हैं।

3- अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय सीमा को शिथिल कर संशोधित छात्रवृत्ति योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित छात्रवृत्ति योजना की ऑनलाइन पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत छात्रों के लिए वर्तमान लागू छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि करते हुये संशोधित पात्रता/प्रक्रिया सहित उ0प्र0 में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं हेतु संशोधित छात्रवृत्ति योजना निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) संस्कृत छात्रवृत्ति की संशोधित दरें निम्नवत् हैं:-

कक्षा	छात्रवृत्ति की दरें (प्रतिमाह)	छात्रवृत्ति की दरें (वार्षिक)
प्रथमा (6-8)	(कक्षा 6-7)-रू. 50/- (कक्षा 8)-रू. 75/-	600/- 900/-
पूर्व मध्यमा (9-10)	100/-	1200/-
उत्तर मध्यमा (11-12)	150/-	1800/-
शास्त्री (स्नातक)	200/-	2400/-
आचार्य (परास्नातक)	250/-	3000/-

Scanned with CamScanner

(ख) उपर्युक्तानुसार संशोधित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्रता निम्नवत् है:—

(1) न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक।

(2) 75 प्रतिशत उपस्थिति।

(3) उक्त संशोधित छात्रवृत्ति योजना प्रदेश संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले समस्त छात्र-छात्राओं के लिए अनुमन्य होगी।

(ग) उपर्युक्तानुसार संशोधित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना हेतु प्रक्रिया/व्यवस्था निम्नवत् है:—

(1) उक्त संशोधित छात्रवृत्ति दरों के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान दो किश्तों में (प्रथम किश्त दशहरा के पूर्व तथा दूसरी किश्त होली के पूर्व) किया जायेगा।

(2) 75 प्रतिशत उपस्थिति का सत्यापन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

योजनान्तर्गत जिस कक्षा के छात्र/छात्रा को जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति की प्रथम किश्त का भुगतान की जानी है, उक्त छात्र/छात्रा की उक्त वर्ष की उसी कक्षा में माह अप्रैल से माह अगस्त की 15 तारीख तक की उपस्थिति की गणना करके सत्यापन किया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय किश्त हेतु उक्त छात्र/छात्रा की उक्त वर्ष की उसी कक्षा में माह सितम्बर से माह जनवरी की 15 तारीख तक की उपस्थिति की गणना करके सत्यापन किया जायेगा।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित छात्रवृत्ति योजना की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया को संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में लागू करने हेतु समाज कल्याण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल को संस्कृत छात्रवृत्ति योजना हेतु उपयोग करने के लिए एन०आई०सी० के सहयोग से संस्कृत छात्रों/कक्षा/कोर्सेस/विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि के डाटा सम्मिलित कराते हुए समाज कल्याण के पोर्टल में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का एक अलग विण्डो बनाने की कार्यवाही की जाय।

(4) एन०आई०सी० को उक्त पोर्टल सम्बन्धी कार्य सम्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था हेतु सैलेरी के मद में प्रतिवर्ष लगभग रू0 50.00 लाख की अतिरिक्त बजट व्यवस्था करायी जाय।

(5) छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु एक समय सारणी भी निर्धारित कर दी जाय, जिसमें छात्रों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि/सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्र स्क्रीनिंग/वेरिफिकेशन के उपरान्त जनपद स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तथा जनपद स्तरीय समिति से आवेदन पत्रों की स्वीकृति तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की जाय।

(6) संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नियमावली भी तैयार कर जारी किया जाए, जिसमें समस्त प्रक्रिया/पात्रता मानदण्ड एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा जनपद स्तरीय समिति (अध्यक्ष—जिलाधिकारी, सदस्य—मुख्य विकास अधिकारी, राजकीय इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य कोषाधिकारी तथा सदस्य सचिव— जिला विद्यालय निरीक्षक) का गठन आदि कार्यवाही सम्मिलित हो।

(7) नियमावली तैयार करने की कार्यवाही करने के लिए तथा समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपयोग संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु किये जाने की कार्यवाही में समाज कल्याण विभाग तथा एन0आई0सी0 से सहयोग/समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति गठित कर दी जाय जिसमें अध्यक्ष —शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0/सदस्य—अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0/वित्त नियंत्रक (मा0) उ0प्र0/उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत)उ0प्र0/सदस्य सचिव—सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 होंगे।

Scanned with CamScanner

4— उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग की वर्तमान में माह सितम्बर 2023 में संशोधित छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है, जिसे उपर्युक्तानुसार संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में एन०आई०सी० द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया आदि को चालू किये जाने तथा अन्य सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करते हुए लागू किये जाने में समय लगना सम्भावित है। संस्कृत छात्रों के लिए वर्तमान में लागू छात्रवृत्ति योजना में छात्रों/लाभार्थियों के समस्त डाटा आदि आफलाइन/मैनुअल संचालित की जा रही है, अतः समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर संस्कृत छात्रों के डाटा ऑनलाइन करके संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु एक अलग ऑनलाइन विण्डो विकसित करने में भी समय लगेगा। अतः उक्त के दृष्टिगत ऑनलाइन व्यवस्था की उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यवाही को आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किया जायेगा तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 में संस्कृत छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु उपर्युक्त प्रस्तर—3 में वर्णित संशोधित व्यवस्थानुसार छात्रवृत्ति योजना को ऑफलाईन ही क्रियान्वित किया जाय तथा आगामी वित्तीय वर्ष से उपर्युक्त प्रस्तर—3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जायेगी।

5— कृपया प्रदेश के माध्यनिक संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र—छात्राओं के लिए उपर्युक्तानुसार संशोधित छात्रवृत्ति योजना को तत्काल कियान्वित करते हुए लागू करने हेतु अपेक्षित समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से समयसारिणी के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0संख्या: 1335 (1)/पन्द्रह—9—2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत), उ0प्र0 प्रयागराज।
4— निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5— सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—11/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—7
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner